

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 1969/अग्रहायण 6, 1891

No. 189] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 1969/AGRAHAYANA 6, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November 1969

No. 41/1/CI/69.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin—Part II, dated the 26th November, 1969, is hereby published for general information:—

No. 1402

Amendment to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha
(Fifth Edition)

In pursuance of sub-rule (3) of Rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the following amendment approved by Lok Sabha to the Fourth Schedule to the said Rules is hereby published:—

Fourth Schedule

In the Fourth Schedule to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, in Part I, after entry '7', the following shall be added namely:—

“8. The Food Corporation of India.”

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक-सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर 1969

संख्या 41/1/सी-एफ/69 :—दिनांक 26 नवम्बर, 1969, के लोक-सभा समाचार—भाग 2 में प्रकाशित निम्नलिखित पेरिग्राफ सामान्य जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

संख्या 1402

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 331 के उपनियम (3) के अनुसरण में उक्त नियमों की चौथी अनुसूची में लोक-सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

चौथी अनुसूची

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की चौथी अनुसूची में भाग I में प्रविष्टि “7” के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“8. भारत का खाद्य निगम ।”

इशामलाल शर्मा, सचिव ।